

पत्रांक-८ / ३४-०५ / ०५ । १९६८  
ज्ञारखण्ड सरकार  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

दूसरे दूसरे विद्यालय  
निदेशालय  
भारत राज्य।

संदर्भ में

सचिव

सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली।

रोधी, दिनांक - १२. ७. २००६

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी० बी०  
एस० ई०, नई दिल्ली से संबंध हेतु सशर्त अनापत्ति प्रगाण-पत्र  
निर्गत करने के संबंध में।

नमूना-


उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार हीरा  
भूक्त विद्यारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित संत थोमस स्कूल मैनेजिंग कॉमिटि  
साहु दहियर, तोडांडी, धनबाद को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु  
अधोलिखित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन सशर्त अनापत्ति प्रगाण-पत्र निर्गत करने का  
निर्णय लिया गया है।

विभागीय जारी रखा-1056, दिनांक 05.03.2001 के अलांक में  
गिम्नालिसियर शर्तों एवं बन्धेजों को सनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय की वार्षिक वचत, आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं  
हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अंजित करने के उद्देश्य से स्थापित  
नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो वचत होगी उसका स्पष्टोग्न भी  
विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से  
कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष लर्नियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर  
भुगतान करना होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को किसी प्रत्यार का अनुदान नहीं  
दिया जाएगा।

  
St. Thomas High School  
Topchanchi, Dhanbad  
Aft. Code 3430237  
School Code 52097

  
Secretary  
St. Thomas School Managing Committee  
St. Thomas School

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों का अनुमालन न करने को रिधाति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समीक्षा कराजात एवं अभिलेखों को जाली या वास्तविक रिधाति से भिन्न पाया जाय तो विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध लोई कार्य किया जा रहा हो या ऐसा लोई कार्य जिससे सामरिक कदूता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनागती प्रमाण पत्र जो वापस ले सकती है।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों का अनुमालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के सक्रम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय अथवा संस्था की वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक नामज्ञों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. समय-समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय संवर्धन जंक्षनी जो निर्णय लिये जायेंगे उनका अनुमालन करना अनिवार्य होगा अथवा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

18. प्रस्ताव में विभागीय भाषी का अनुनादन प्रवर्ता है।

विश्वासभाजन

(कुलवति गिर) 11/9/76  
सरकार के विशेष समिति

इ. 1968, रात्रि, दिनांक 12. 9. 76  
प्रतिलिपि:- क्षेत्रिय उप विद्या निदेशक, लक्तरी शोटलगांग झंसी,  
हजारीबाग/जिला विद्या पदाधिकारी, धनबाद/प्रायार्य, सत थोमस स्कूल मैनेजिंग  
कमिटी सहु बहियाद, तोपचांडी, धनबाद को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेक्षित।

1968  
12. 9. 76

(कुलवति गिर) 11/9/76  
सरकार के विशेष समिति

P. Grewal  
Secretary  
St. Thomas School Managing Committee

St. Thomas High School  
Topchanchi, Dhanbad  
Alt. Code 3430237  
School Code 52097

पत्रांक— 6 / अ. 4-05 / 05—..... /

झारखंड—सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

शुद्धि—पत्र

इस निदेशालय के पत्रांक— 6 / अ. 4-05 / 05—1968 दिनांक— 12.09.2006 के द्वारा संत थोमस हाई स्कूल, साहुबढ़ियार, तोपचाँची, धनबाद को राज्य सरकार की अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किया गया है। परन्तु टंकन भूलवश विद्यालय के नाम के बदले उक्त पत्र में प्रबंध समिति का नाम संत थोमस स्कूल मैनेजिंग कमिटी, साहुबढ़ियार, तोपचाँची, धनबाद अंकित हो गया है। इस त्रुटि को सुधार करते हुए संत थोमस हाई स्कूल, साहुबढ़ियार, तोपचाँची, धनबाद के नाम से अनापत्ति प्रमाण—पत्र समझा जाय। विद्यालय के आवेदन पत्र एवं शपथ—पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

निदेशालय के पत्रांक— 6 / अ. 4-05 / 05—1968 दिनांक— 12.09.2006 की शेष शर्तें  
यथावत् रहेंगी।

हो/-

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 12 / अ 4 —20 / 06..... /

राँची, दिनांक..... /

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव/ सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र— 2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली— 110092/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/जिला, शिक्षा पदाधिकारी, पंडे वारौ, प्राचार्य, संत थोमस हाई स्कूल, साहुबढ़ियार, तोपचाँची, धनबाद/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
झारखंड, राँची।

  
Secretary  
St. Thomas School Managing Committee

  
St. Thomas High School  
Topchanchi, Dhanbad  
Aft. Code 3430237  
School Code 52097